संख्याः188/2026/1506/35-4-2026/35-4002(003)/31/2026

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांकः 30 सितम्बर, 2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या-80/2026/553/35-4-2026/35-4002(003)/31/2026, दिनांक 31 मार्च, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद गाजियाबाद में कार्यों की स्वीकृति निर्गत की गयी है। जिलाधिकारी के पत्र सं0- 1103/त्व0आ0वि0/स0मार्ग/2026-27 दिनांक 01.08.2026 के माध्यम से उक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत कार्यों में से क्रमांक-35 पर अंकित कार्य को सी०सी० रोड परिवर्तित किये जाने हेतु प्रकरण सन्दर्भित किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2026 द्वारा स्वीकृत कार्यों में से क्रमांक-35 पर अंकित कार्य की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

शासनादेश दिनांक 31.03.2026 के अनुसार विवरण			पुनरीक्षित स्वीकृति का विवरण		
शासनादेश का क्रं0	कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	कार्य का नाम	लम्बाई (मी0)	पुनरीक्षित लागत
35	रामेश्वर पार्क में शहीद भगत सिंह द्वार से नेगी की दुकान से (राइट) होते हुए दुर्गा माता मंदिर तक काली सड़क निर्माण कार्य।	39.64	रामेश्वर पार्क में शहीद भगत सिंह द्वार से तेजराम के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण कार्य।	266	39.21

1. उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2026 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2026 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि को अनुवर्ती किश्त के रूप में आंकलित/समायोजित किया जायेगा।
3. जिलाधिकारी द्वारा पुनरीक्षित/स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ-साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।
4. उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2026, उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:188/2026/1506(1)/35-4-2026/35-4002(003)/31/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, मेरठ मंडल, सहारनपुर मंडल ।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गाजियाबाद।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गाजियाबाद।
14- सम्बंधित अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, गाजियाबाद।
15- गार्ड फाईल।

अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।